भौगोलिक उपदर्शन आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया

I. प्रपत्र और आवेदन पर हस्ताक्षर

1 किसी भौगोलिक उपदर्शन के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन विहित प्रपत्र (जीआई-1A से 1D) विहित शुल्क (रू. 5000) के साथ किया जाना चाहिए।

2 इस पर आवेदक या उसके एजेंट के हस्ताक्षर होने चाहिए।

3 इसे तीन प्रतियों में संदर्भ के कथन की तीन प्रतियों के साथ पाँच अतिरिक्त प्रस्तुतियों के साथ अवश्य दाखिल करना होगा।

II. शुल्क

1 शुल्क का भुगतान नकद रूप में या मनीऑर्डर भेज कर या बैंक ड्राफ्ट अथवा चेक के माध्यम से किया जा सकता है।

2 बैंक ड्राफ्ट अथवा चेकक्रॉस किया हुआ होना चाहिए और भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री के उपयुक्त कार्यालय पर रजिस्ट्रार के नाम संदेय होना चाहिए।

3 यह उस स्थान के किसी अनुसूचित बैंक पर आहरित हो जहाँ उस भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री का उपयुक्त कार्यालय स्थित है।

4 यदि कोई दस्तावेज बिना शुल्क के अथवा अपर्याप्त शुल्क के साथ दाखिल किया जाता है तो वैसे दस्तावेज को दाखिल नहीं किया हुआ मान लिया जाएगा।

III. आकार

1 सभी आवेदन हिन्दी या अंग्रेजी में टाइप किया हुआ, लिथोग्राफ किया हुआ अथवा मुद्रित किया हुआ होना चाहिए।

2 यह गहरे स्थायी स्याही से बड़े और पठनीय अक्षरों में मजबूत कागज पर केवल एक ही तरफ लिखा हुआ होना चाहिए।

3 उसका आकार लगभग 33 सेमी x 20 सेमी होना चाहिए इसका बायीं ओर का हाशिया 4 सेमी से कम न हो।

IV. दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना

1 यदि ऐसा हो तो

i व्यक्तियों या उत्पादकों का एक संगठन प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होगा।

ii तात्कालीन समय के लिए प्रभावी किसी कानून द्वारा या उसके अंतर्गत स्थापित कोई निकाय कॉर्पोरेट या कोईसंगठन या कोई प्राधिकार, मुख्य कार्यपालक अथवा प्रबंध निदेशक अथवा सचिव या अन्य प्रधान अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा।

iii साझेदारी होने की स्थिति में उस पर कम से कम एक साझेदार का हस्ताक्षर होगा।

1 हस्ताक्षरकर्ता किस अधिकार के तहत उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करता है इसका वर्णन उसके हस्ताक्षर के नीचे होगा।

2 हस्ताक्षर के साथ हस्ताक्षरकर्ता के नाम अंग्रेजी या हिन्दी में और बड़े अक्षरों में दिया जाएगा।

V. भारत में व्यवसाय का प्रधान स्थान

1 भौगोलिक उपदर्शन के पंजीकरण हेतु प्रत्येक आवेदन में भारत में व्यवसाय के प्रधान स्थान का वर्णन होगा।
2 एक निकाय कॉर्पोरेट निदेशक मंडल के पूर्ण नाम और नागरिकता का वर्णन करेगा।
3 विदेशी आवेदक और उनके अपने देश में व्यवसाय का प्रधान स्थान रखने वाले व्यक्ति भारत में सेवार्थ पता उपलब्ध कराएंगे।
4 तात्कालीन समय के लिए प्रभावी किसी कानून द्वारा या उसके अंतर्गत स्थापित कोई निकाय कॉर्पोरेट या कोई संगठन या कोई प्राधिकार के मामले में उनके निर्माण का देश या पंजीकरण की स्थिति, यदि कोई हो, जैसी भी स्थिति हो प्रदान की जानी चाहिए।

VI. कन्वेंशन आवेदन में निम्नलिखित होना चाहिए

1 कन्वेंशन देश के भौगोलिक उपदर्शन कार्यालय की रजिस्ट्री या सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र।
2 भौगोलिक उपदर्शन का विवरण, प्रथम आवेदन दाखिल करने का देश और तारीख।
3 वह आवेदन उस आवेदक का कन्वेंशन देश में उसी भौगोलिक उपदर्शन और उसकी सभी या कुछ वस्तुओं के लिए प्रथम आवेदन अवश्य होगा।
4 आवेदन के साथ एक ऐसा कथन अवश्य होना चाहिए जिसमें विदेशी आवेदन दाखिल करने की तारीख, वह कन्वेंशन देश जहाँ उसे दाखिल किया गया था, क्रम संख्या, यदि उपलब्ध हो, की सूचना प्रदान की गई हो।

VII. अनुप्रयोग में उपयोक्ता का कथन

भौगोलिक उपदर्शन के पंजीकरण के लिए किए गए आवेदन में हलफनामे के साथ उपयोक्ता का कथन सम्मिलित होना चाहिए।

VIII. आवेदन का सार

प्रत्येक आवेदन विहित प्रपत्र में किया जाना चाहिए जिसके साथ निम्नलिखित संलग्न हो:

1 वह कथन कि वह भौगोलिक उपदर्शन किस प्रकार विशिष्ट गुणवता, ख्याति या अन्य विशिष्टिताओं के संदर्भ में सम्बद्ध क्षेत्र से यथा उद्गमित वस्तुओं को नामित करता है।
1 वस्तुओं की श्रेणी जिससे वह भौगोलिक उपदर्शन संबंधित है उसकी तीन सत्यापित प्रतियाँ।
2 उस क्षेत्र का भौगोलिक मानचित्र।
3 भौगोलिक उपदर्शन शब्द या संख्यात्मक अवयव या दोनों की उपस्थिति का विवरण।
4 एक ऐसा कथन जिसमें संबंधित वस्तुओं के उन उत्पादकों का विवरण हो जिनसे प्रारंभिक प्रतिरोध होना प्रस्तावित है। साथ ही जिन वस्तुओं के संदर्भ में आवेदन किया गया हो उसके सभी उत्पादकों का एकीकृत संदर्भ।
5 आवेदन में निहित कथन में निम्नलिखित भी शामिल होना चाहिए:

यह वर्णित करते हुए एक हलफनामा कि आवेदक का दावा किस प्रकार व्यक्तियों के संगठन या उत्पादकों या अन्य संस्थाओं या विधि के तहत स्थापित प्राधिकारी के हितों का प्रतिनिधित्व करता है।

भौगोलिक उपदर्शन के उपयोग के लिए मानक मानदण्ड या उन वस्तुओं के उत्पादन, दोहन, निर्माण या विनिर्माण से संबंधित औद्योगिक मानक जिनके विशिष्ट गुण, ख्याति या अन्य विशेषताएँ जो अनिवार्य रूप से उसमें निहित मानव रचनात्मकता, यदि कोई हो या अन्य विशेषताओं के विस्तृत विवरण के साथ उसके भौगोलिक उद्गम के प्रति उत्तरदायी हो।

यह सुनिश्चित करने की व्यवस्था का विवरण कि मानक, गुणवता, सत्यता और निरंतरता या अन्य विशेष गुण वस्तुओं के उत्पादकों या निर्माताओं द्वारा बरकरार रखे जाते हैं।

क्षेत्र, इलाका या स्थान के मानचित्र की तीन सत्यापित प्रतियाँ;

उस भौगोलिक उपदर्शन से संबंधित विशेष मानवीय निपुणता या भौगोलिक परिवेश की विशिष्टता या अन्य अंतर्निहित विशेषताओं के विवरण ।

संबंधित वस्तुओं के उत्पादकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों के संगठन या संस्था या प्राधिकारी का पूर्ण नाम और पता;

जाँच संरचना का विवरण;

किसीहोमोनिमस उपदर्शन के मामले मेंपंजीकृत भौगोलिक उपदर्शन से उस आवेदन को पृथक करने वाले तथ्यात्मक कारक और अपनाए गए सुरक्षात्मक उपायों के विवरण।

IX. आवेदन की स्वीकृति की पावती:

1 किसीवस्तु के संदर्भ में भौगोलिक उपदर्शन के पंजीकरण का प्रत्येक आवेदन प्राप्त होने पर रजिस्ट्रार द्वारा उसकी पावती दी जाएगी।

2 उस पावती के रूप में एक अतिरिक्त आवेदन प्रति वापस की जाएगी जिस पर आवेदन की शासकीय संख्या विधिवत् लिखी होगी।